

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-13-2-14

संख्या-4/परिधा-13-04/2013-140(4)/भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, परिधापक संवर्ग में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।-

अध्याय-1 : प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** - (1) यह नियमावली "बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ।** - जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-
 - (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
 - (ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;
 - (iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
 - (iv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी;
 - (v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार परिधापक संवर्ग; तथा
 - (vi) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।

AC

3. **संवर्ग का गठन।** - परिधापक का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाय।

4. **संवर्ग का पदसोपान।** - इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ अर्थात् पदसोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे।

अध्याय-2 : भर्ती

5. **भर्ती।** - इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (परिधापक) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, होगी।

6. **अर्हताएँ।** - (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक/दसवीं (भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी के साथ) में उत्तीर्णता होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

(2) परिधापक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु-सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. **भर्ती की प्रक्रिया।** - (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

Handwritten signature

140(4)
13-2-14

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

3. साक्षात्कार निम्नलिखित के अनुसार 100 (एक सौ) पूर्णांक का होगा:-

(क)	मैट्रिक/दसवीं परीक्षा में प्राप्तांक के लिए -	25 अंक
(ख)	उच्चतर डिग्री में प्राप्तांक के लिए-	10 अंक
(ग)	सर्टिफिकेट के लिए-	25 अंक
(घ)	बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)-	25 अंक
(ङ)	साक्षात्कार के लिए-	15 अंक
		कुल 100 अंक

टिप्पणी। - मैट्रिक/दसवीं परीक्षा तथा उच्चतर डिग्री कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जानेवाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक

Handwritten signature

*140(4)
13-2-14*

प्राप्त किया गया हो तो उसे

$50\% \times 0.25 = 12\frac{1}{2}$ अंक दिये जायेंगे।

- (4) साक्षात्कार की प्रक्रिया का अवधारण आयोग के द्वारा किया जायेगा।
- (5) आयोग, उपर्युक्त के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा। मेधासूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा, नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।
- (6) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय 3 : परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

8. परिवीक्षा अवधि। – नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे परिधापक को सेवामुक्त कर सकेगा।
9. प्रशिक्षण। – परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन परिधापक को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय।

140 (4)
13-2-14



10. **विभागीय परीक्षा।** – परिधापक को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अवधारित किया जायेगा।
11. **सम्पुष्टि।** – परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर परिधापक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।
12. **वरीयता।** – परिधापक की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गयी मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

अध्याय-4 : प्रोन्नति

13. **प्रोन्नति के सोपान।** – (1) सेवा में सम्पुष्ट परिधापक को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार, पस्त्रिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्रोन्नति के सोपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्री या पी0ए0आर0 संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

14. **विभागीय प्रोन्नति समिति।** – प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

14064
13-2-14

dm

अध्याय 5 : प्रकीर्ण

15. **आरक्षण।** - सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
16. **परिशिष्ट-1 में अंकित पदसोपान** सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित पद-सोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट-1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद-सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।
17. **परिशिष्ट-1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर,** इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से, नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।
18. **अवशिष्ट मामले।** - इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।
19. **निर्वचन।** - यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।
20. **कठिनाई का निराकरण।** - यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।
21. **निरसन एवं व्यावृत्ति।** - (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से निरसित समझे जायेंगे।

140 (4)
13-2-14

dit

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी ऐसी नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञापक-4/परिधा-13-04/2013.....¹⁴⁰⁽⁴⁾.....पटना, दिनांक-¹³⁻²⁻¹⁴

[Handwritten Signature]
13/2/14
सरकार के संयुक्त सचिव
13/2/14

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण

अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
13/2/14
सरकार के संयुक्त सचिव
13/2/14

परिशिष्ट-1

[नियम- 2(vi), 4, 13, 16,17 द्रष्टव्य]

परिधापक संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	परिधापक	
2	प्रथम सोपान	वरीय परिधापक	
3	द्वितीय सोपान	परिधापक पर्यवेक्षक	
4	तृतीय सोपान	वरीय परिधापक पर्यवेक्षक	

नोट :- उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

14064)
13-279

सरकार के संयुक्त सचिव।
13/2/14

ज्ञापंक-4/परिधा-13-04/2013..... ५० (५)पटना, दिनांक- 13-2-14

प्रतिलिपि-सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय/निदेशक इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान/निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र अगमकुँआ पटना एवं दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ /सभी सिविल सर्जन/सभी राज्य कार्यकर्मपदाधिकारी/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

13/2/14

